

MLA  
2008-09

रांची समाहरणालय, रांची  
(विकास शाखा)  
कार्यालय आदेश


माननीय श्री रमेश सिंह मुंडा सांसद/विधायक/पार्षद द्वारा अनुसूचित विन्म योजना, जिसकी तकनीकी स्वीकृति / कार्य 0 अभि 0 एन 0 आर 0 ई 0 पी 0-2 रांची द्वारा प्रदान की गई है। माननीय सांसद/विधायक/पार्षद की अनुमति एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उप विकास आयुक्त/उपायुक्त, रांची द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राज्य विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि रैयती भूमि उपलब्ध हो तो, योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का निर्माण कार्य प्रखंड विकास पदाधिकारी./अंचलाधिकारी कार्यालयक अभि 0 एन 0 आर 0 ई 0 पी 0-2 रांची देखा देखा में कराना है एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण करना है। साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्रावकलय के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी परामर्श/मार्ग दर्शन सहायक अभियंता कार्य 0 अभि 0 एन 0 आर 0 ई 0 पी 0-2 रांची का सहयोग एवं अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करवेंगे।
6. स्वीकृत राशि प्र 0 वि 0 पदा 0 /अ 0 पदा 0 / कार्य 0 अभि 0 एन 0 आर 0 ई 0 पी 0-2 रांची उप विकास आयुक्त, रांची से प्राप्त करेंगे एवं प्रत्येक माह की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेंगे।
7. अन्य यह योजना किसी अन्य मद से ली गई हो तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

क्रम सं०	योजना का नाम	अनुसूचित राशि	प्राक्कलित राशि लाख में	प्रशासकिक स्वीकृति की राशि	विमुक्त राशि
1.	कुटीलोर नाला में चेक डैम निर्माण	15.39	14.617	14.617	14,61,700.00
कुल :					14,61,700.00

(कुल चौदह लाख इकसठ हजार सात सौ रुपये मात्र)


उपायुक्त, रांची के आदेश से

  
उप विकास आयुक्त, रांची

नोट: 1 योजनाओं का कार्य तीन माह में पूर्ण करकर पूर्णता-सह-उपयोधिता प्रमाण पर समर्पित करेंगे।

आपांक 4:24 (ii) दिनांक 10/4/08

प्रतिलिपि माननीय विधायक श्री रमेश सिंह मुंडा/कार्य 0 अभि 0 एन 0 आर 0 ई 0 पी 0-2 रांची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि नाजीर, विकास शाखा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
नाजीर  
10/4/08

  
उप विकास आयुक्त, रांची।

202 11-11-11

रांची समाह्वरणालय, रांची  
(विकास सारखा)  
कार्यालय आवेष्ट  
विशेषअंतीभूत योजना

1255

माननीय श्री रमेश सिंह मुंडा सांसद/विधायक/पार्षद द्वारा अनुसूचित निम्न योजना, जिसकी तकनीकी स्वीकृति /जिला अभियंता,जिला परिषद् रांची द्वारा प्रदान की गई है।माननीय सांसद/विधायक/पार्षद की अनुमति एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उप विकास आयुक्त/उपायुक्त,रांची द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि रैयती भूमि उपलब्ध हो तो,योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का निर्माण कार्य प्रखंड विकास पदाधिकारी./अंचलाधिकारी जिला अभियंता,जिला परिषद्,रांची। देखा रेखा में करना है एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण करना है।साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्ग दर्शन सहायक अभियंता जिला अभियंता,जिला परिषद्,रांची। का सहयोग एवं अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करायेंगे।
6. स्वीकृत राशि प्र0वि0पदा0/अ0पदा0। जिला अभियंता,जिला परिषद्,रांची। उप विकास आयुक्त,रांची से प्राप्त करेंगे एवं प्रत्येक माह की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को भिजमित रूप से भेजेंगे।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई हो तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

क्रम सं०	योजना का नाम	अनुसूचित राशि	प्राक्कलित राशि लाख में	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	विमुक्त राशि
1.	आर० एस० एम महिला महाविद्यालय ,बुण्डू में शौचालय निर्माण	2.00	2.00	2.00	2,00,000.00
2.	विष्णुकाटोली नुं दुर्गा मंदिर से शिव महता के घर तक 200 फीट पी0सी0सी0 पथ निर्माण	0.80	0.80	0.80	80,000.00

कुल :

2,80,000.00

(कुल दो लाख अस्सी हजार रुपये मात्र)



उप विकास आयुक्त,रांची

नोट: 1 योजनाओं का कार्य तीन माह में पूर्ण कराकर पूर्णता-सह-उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।

आपांक- 246 (1) दिनांक 12-11-2008

प्रतिष्ठिति माननीय विधायक श्री रमेश सिंह मुंडा/जिला अभियंता,जिला परिषद्,रांची को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिष्ठिति नाजीर, विकास सारखा को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

o/c

निदेशक  
वा. नि. 3730 रांची  
11/11/08  
1114



उप विकास आयुक्त,रांची



1270

रांची समाहर्णालय, रांची  
(विकास शाखा)  
कार्यालय आदेश  
सामान्य मद

माननीय श्री रमेश सिंह मुंडा सांसद/विधायक/पार्षद द्वारा अनुसरित विभिन्न योजना. जिसकी तकनीकी स्वीकृति जिला अभियंता, जिला परिषद् रांची द्वारा प्रदान की गई है। माननीय सांसद/विधायक/पार्षद की अनुमति एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उप विकास आयुक्त/उपायुक्त, रांची द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति विन्मोक्तित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राज्य विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि रैवती भूमि उपलब्ध हो तो, योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का निर्माण कार्य प्रसंग विकास पदाधिकारी./अंचलाधिकारी जिला अभियंता, जिला परिषद् रांची देख रेख में करना है एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण करना है। साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्ग दर्शन सहायक अभियंता जिला अभियंता जिला परिषद् रांची का सहयोग एवं अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करावे।
6. स्वीकृत राशि प्रविपदा0/अपदा0। जिला अभियंता, जिला परिषद् रांची / उप विकास आयुक्त, रांची से प्राप्त करने एवं पर्येक खात की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को निवृत्त रूप से भेजें।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई हो तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें।

क्र. सं.	योजना का नाम	अनुसरित राशि (लाख में)	प्राक्कलित राशि (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	विमुक्त राशि 40 प्रतिशत
1.	दलकरीडीह में दुर्गा मंदिर से बाबू टोली तक किये गए बोल्टर रोडिंग पर 700 फीट पीसीसी0 पथ का निर्माण कार्य	2.56	2.56	2,56,000.00	—
				2,56,000.00	

कुल: (कुल दो लाख छपन हजार रुपये मात्र)


- नोट: 1 इस कार्यालय के द्वारांक 149(ii) दिनांक 24.01.08 को स्थगित करते हुए उपरोक्त योजना की मात्र स्वीकृति दी जाती है एवं उक्त द्वारांक से निर्गत 9.00 लाख रुपये की राशि में से इस योजना के लिए स्वीकृत 2,56,000.00 की राशि घटाकर शेष राशि जिला को वापस करना सुनिश्चित करें।
2. योजनाओं का कार्य तीन माह में पूर्ण कराकर पूर्णता-सह-उपरोधिता प्रमाण पत्र समर्पित करें।

  
उप विकास आयुक्त, रांची।

द्वारांक 842(11) दिनांक 29-7-2008

प्रतिलिपि माननीय विधायक श्री रमेश सिंह मुंडा / जिला अभियंता, जिला परिषद्, रांची / प्रविपदा0, लगाह को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि नाजीर, विकास शाखा को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

o/c

  
निदेशक  
राज नि. कार्यक सो-1  
28/7/08

  
उप विकास आयुक्त, रांची।



राँची समाहरणालय, राँची ।  
(विकास शाखा)  
कार्यालय आदेश  
सामान्य मद

माननीय श्री रमेश सिंह मुण्डा, सचिव/विधायक/परिषद द्वारा अनुशसित निम्न योजना जिसकी तकनीकी स्वीकृति जिला अभियंता, जिला परिषद राँची द्वारा प्रदान की गई है। माननीय सचिव/विधायक/परिषद की अनुशंसा एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उप विकास आयुक्त/उपसचिव, राँची द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि रैयती भूमि उपलब्ध हो तो, योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का निर्माण कार्य प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी जिला अभियंता, जिला परिषद राँची देख रेख में कराना है एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण कराना है। साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य ने तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्ग दर्शन सहायक अभियंता जिला अभियंता जिला परिषद राँची का सहयोग एवं अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करायेंगे।
6. स्वीकृत राशि प्रविषदा/अंचला/जिला अभियंता जिला परिषद राँची/उप विकास आयुक्त, राँची से प्राप्त करेंगे एवं प्रत्येक माह के दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेंगे।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई हो तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

क्रमांक	योजना का नाम	अनुशसित राशि (लाख में)	प्राक्कलित राशि (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	विमुक्त राशि
1.	ग्राम हुमटा जडेया में विद्युतीकरण कार्य	1.50	1.50	1,50,000.00	1.50

कुल:- 1,50,000.00  
(कुल एक लाख पचास हजार रुपये मात्र)

नोट: 2. योजनाओं का कार्य तीन माह में पूर्ण कराकर पूर्णता-सह-उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।

ज्ञापक: 94(1), दिनांक: 21-8-2008

प्रतिलिपि:-माननीय विधायक श्री रमेश सिंह मुण्डा/जिला अभियंता, जिला परिषद, राँची/प्र.वि.पदा.तमाड़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि:-नाजीर, विकास शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*[Signature]*  
उप विकास आयुक्त, राँची।

*[Signature]*  
उप विकास आयुक्त, राँची।

o/l  
*[Signature]*  
निदेशक,  
कार. नि. कार्य. राँची  
18/8/08



रांची समाह्वरालय, रांची  
(विकास शाखा)  
कार्यालय आदेश  
सामान्य मद

1295

माननीय श्री रमेश सिंह मुण्डा, सप्लदे/विधायक/पार्षद द्वारा अनुशंसित निम्न योजना जिसकी तकनीकी स्वीकृति जिला अभियंता, जिला परिषद रांची द्वारा प्रदान की गई है। माननीय सप्लदे/विधायक/पार्षद की अनुशंसा एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उप विकास आयुक्त/उपस्थित, रांची द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि रैयती भूमि उपलब्ध हो तो, योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का निर्माण कार्य प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी जिला अभियंता, जिला परिषद रांची की देख रेख में कराना है एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण कराना है। साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्ग दर्शन सहायक अभियंता जिला अभियंता, जिला परिषद रांची का सहयोग एवं अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करावेंगे।
6. स्वीकृत राशि प्रोविजन्दा/अनुवर्द्धा/ जिला अभियंता, जिला परिषद रांची / उप विकास आयुक्त, रांची / रांची से प्राप्त करेंगे एवं प्रत्येक माह की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेंगे।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई हो तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

क्रम सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि लाख में	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	विमुक्त राशि
1.	बुण्डू में डिपबोरिंग का निर्माण (चापाकल) का कार्य	2.02	2.02	80,000.00
2.	बुण्डू टांगर टोली में डिपबोरिंग का निर्माण (चापाकल) का कार्य	2.02	2.02	80,000.00
3.	तमाड उच्च विद्यालय में डिपबोरिंग का निर्माण (चापाकल) का कार्य	2.02	2.02	80,000.00
4.	बुण्डू आई०बी० के बगल में किसान भवन का निर्माण	5.25	5.25	5.25

कुल:-

क्रमांक 1 से 3 की योजनाओं का कुल राशि-6,06,000.00 (छः लाख छः हजार रुपये मात्र)  
विमुक्त राशि 40 प्रतिशत-2,40,000.00 (दो लाख चालीस हजार रुपये मात्र)

- नोट-1 इस कार्यालय के ज्ञापांक-149(ii) दिनांक-24.1.08 द्वारा स्थगित योजना जिसकी कुल राशि 9.00 स्वीकृत है में से पूर्व में विमुक्त 2.56 लाख रुपये घटाते हुए क्रमांक-4 के योजना बुण्डू आई०बी० के बगल में किसान भवन का निर्माण हेतु स्वीकृत योजना 5.25 रुपये पूर्ण में विमुक्त राशि से उक्त योजना का कार्य करेंगे तथा शेष 1.19 लाख रुपये वापस करना सुनिश्चित करेंगे।
2. योजनाओं का कार्य तीन माह में पूर्ण कराकर पूर्णता-सह-उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।

उप विकास आयुक्त, रांची।

ज्ञापांक-965/ii / रांची दिनांक-2/9/08

प्रतिलिपि:- माननीय विधायक श्री रमेश सिंह मुण्डा/जिला अभियंता, जिला परिषद रांची/ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- नाजीर, विकास शाखा को चेक निर्गत करने हेतु प्रेषित।

उप विकास आयुक्त, रांची।



रांची समाहरणालय रांची

{विकास शाखा}

आदेश

इस कार्यालय के ज्ञापक 965(ii) दिनांक 2.9.2008 के द्वारा माननीय विधायक स्व० रमेश सिंह मुण्डा के विधायक निधि सामान्य मद से तीन योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति एवं 40% निधि विमुक्ति आदेश पूर्व में दी गई है उक्त तीन योजनाओं में सरकार की निर्देशानुसार कार्य एन्जिनी जिला अभियंता जिला परिषद रांची को शेष 60% राशि विमुक्ति आदेश निम्न रूपेण दी जाती है ।

क्र०	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति राशि	पूर्व में विमुक्त 40% राशि	वर्तमान में विमुक्त 60% राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	बुण्डू में डिप वोरिंग का निर्माण (चापाकल) का कार्य	2.02	0.80	1.22	
2	बुण्डू टागर टोली में डिप वोरिंग का निर्माण (चापाकल) का कार्य	2.02	0.80	1.22	
3	तमाड़ उच्च विद्यालय में डिप वोरिंग का निर्माण (चापाकल) का कार्य	2.02	0.80	1.22	
कुल		6.06	2.40	3.66	

(कुल विमुक्त राशि तीन लाख छेयासठ हजार रुपये मात्र)

उप विकास आयुक्त  
रांची

ज्ञापक 1192(ii) ति०

दिनांक 20/11/08

प्रतिलिपि :- जिला अभियंता, जिला परिषद रांची/माननीय विधायक स्व० रमेश सिंह मुण्डा के प्रतिनिधि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- नाजीर जिला विकास शाखा रांची को सूचनार्थ एवं चेक निर्गत करने हेतु प्रेषित ।

निदेशक  
19/11/08

उप विकास आयुक्त  
रांची

रा. नि. ब. ब. ब. ब. ब.  
19/11/08

518 ml 11

17.	टाटा टेलर बुन्दू के घर के आने पीसीपीसी का कार्य बुन्दू के घर के आने पीसीपीसी का कार्य	0.78	0.78	78,000.00	
18.	गाड़ी टोली बुन्दू स्कूल पर न बोल्टर सोलिंग के साथ पीसीपीसी पर निर्माण	2.30	2.30	2,30,000.00	
19.	एच0 एच0 33 नुरवा से पुराना कंसी सड़क तक बोल्टर सोलिंग का कार्य	2.00	2.00	2,00,000.00	
20.	पलना तमाद में पीसीपीसी पर निर्माण कार्य	2.60	2.60	2,60,000.00	

कुल: 54,06,400.00 21,62,000.00

(कुल इक्कीस लाख बारह हजार रुपये मात्र)

~~बिन्दू-1 मोनोपोल का कार्य बल्लो के पलना तक तब तक होने के पलना तीन ग्राह में पूरा करके पुराना सड़क उपरोक्त पलना पर समीपत करने।~~

उप विकास आयुक्त, रांची।

क्रमांक 841 (11) दिनांक 29-7-2008

प्रतिलिपि माननीय विधायक श्री रमेश सिंह मुंडा / जिला अभियंता जिला परिषद् रांची / प्रविण्यया0, तमाद को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि नाजीर, विकास शाखा को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप विकास आयुक्त, रांची।



150

रांची समाहरणालय, रांची  
(विकास शाखा)  
कार्यालय आदेश  
सुभाग्य नद

माननीय श्री रमेश सिंह मुंडा सांजद/विधायक/पार्षद द्वारा अनुशंसित निम्न योजना. जिसकी तकनीकी स्वीकृति जिला अभिव्यंता जिला परिषद् रांची द्वारा प्रदान की गई है। माननीय सांजद/विधायक/पार्षद की अनुशंसा एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के उपलब्ध में इस योजना के लिए उप विकास आयुक्त/उपायुक्त, रांची द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति विनियमित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राज्य विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि रैयती भूमि उपलब्ध हो तो, योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का निर्माण कार्य प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी जिला अभिव्यंता जिला परिषद् रांची देख रेख में करना है एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण करना है। साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्राकल्पन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्ग दर्शन सहायक अभिव्यंता जिला अभिव्यंता जिला परिषद् रांची का सहयोग एवं अपने समुचित तकनीकी निवेश में कार्य को पूर्ण करायेंगे।
6. स्वीकृत राशि प्र0वि0पदा0/अ0पदा0। जिला अभिव्यंता जिला परिषद् रांची। उप विकास आयुक्त, रांची से प्राप्त करने एवं प्रत्येक ब्याज की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेंगे।
7. अगर यह योजना किसी अन्य नद से ली गई हो तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

क्र. सं. 0	योजना का नाम	अनुशंसित राशि (लाख में)	प्राक्कल्पित राशि (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	विमुक्त राशि 40 प्रतिशत
1.	कराबु में पीसीसी0 पथ निर्माण - 500'	2.30	2.30	2,30,000.00	
2.	चोने बांध (नवाडीह) में गार्डवाल निर्माण	6.50	6.491	6,49,100.00	
3.	आर0एस0एस0 महिला महाविद्यालय में पुरतकालय भवन का निर्माण	5.00	4.997	4,99,700.00	
4.	घामाडीह तमाड में पीसीसी0 पथ निर्माण	1.30	1.30	1,30,000.00	
5.	पेडाडीह तमाड में पीसीसी0 पथ निर्माण	4.14	4.14	4,14,000.00	
6.	जामडीह में पीसीसी0 पथ निर्माण	3.70	3.70	3,70,000.00	
7.	बान सारजमडीह में चकधर सेठ के घर से हेतमाडी होते हुए पेनतेतर पर पीसीसी0 पथ निर्माण	3.16	3.16	3,16,000.00	
8.	सारजमडीह में बांधाधर मुण्डा के घर से बंटी चौक तक पीसीसी0 पथ निर्माण	2.12	2.12	2,12,000.00	
9.	एन0एच0 -33 रुग्डी गौड से सेम्पतारी बाजार टोंड तक मिट्टी मुरम पथ निर्माण कार्य	4.00	4.00	4,00,000.00	
10.	हवाडीह से वन घर तक पीसीसी0 पथ निर्माण(बोल्डर सोलिंग के साथ)	1.82	1.82	1,82,000.00	
11.	तमाड मनुवाटोली में पीसीसी0 पथ निर्माण	2.30	2.30	2,30,000.00	
12.	तमाड महापीर के घर से माराम रवाली के घर तक बोल्डर सोलिंग पथ निर्माण	2.00	1.996	1,99,600.00	
13.	एन0एच0 33 से नुरीडीह तक बोल्डर सोलिंग कार्य	1.60	1.60	1,60,000.00	
14.	काज्वारापा में पीसीसी0 पथ निर्माण	2.60	2.60	2,60,000.00	
15.	सेरेगडीह नवाडीह तमाड में नाच के बीचों-बीच बोल्डर सोलिंग के साथ पीसीसी0 का कार्य	2.30	2.30	2,30,000.00	
16.	होमारी में देवनाथ महतो के घर के पास पीसीसी0 पथ का निर्माण कार्य	1.56	1.56	1,56,000.00	

92



1170

रांची समाहरणालय, रांची

(विकास शाखा)

कार्यालय आवेश

सामान्य मद

माननीय श्री रमेश सिंह मुंडा सांसद/विधायक/पार्षद द्वारा अनुसूचित निम्न योजना, जिसकी तकनीकी स्वीकृति जिला अभियंता, जिला परिषद् रांची द्वारा प्रदान की गई है। माननीय सांसद/विधायक/पार्षद की अनुमति एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उप विकास आयुक्त/उपायुक्त, रांची द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि रैगती भूमि उपलब्ध हो तो, योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का निर्माण कार्य प्रखंड विकास पदाधिकारी, /अंचलाधिकारी जिला अभियंता, जिला परिषद् रांची देख रेख में कराना है एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण कराना है। साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्राकल्पन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/नार्न दरान सहायक अभियंता जिला अभियंता, जिला परिषद् रांची का सहयोग एवं अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करायेंगे।
6. स्वीकृत राशि प्रविण्डा/अण्डा/ जिला अभियंता, जिला परिषद् रांची / उप विकास आयुक्त, रांची से प्राप्त करने एवं प्रत्येक छाह की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेंगे।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई हो तो इस योजना को स्थिति कटते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

क्र. सं. 0	योजना का नाम	अनुसूचित राशि (लाख में)	प्राप्तकृत राशि (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	विमुक्त राशि 40 प्रतिशत
1.	कार्तिक महतो, कोलमन हुण्डू के घर के पास पीसीएससी पत्र निर्माण	0.50	0.50	50,000.00	
2.	हुण्डीटोली रैलाडीह में लखीधरन मुण्डा के घर से महावीर मुण्डा के घर तक बोल्टर सोलिंग कार्य	1.00	1.00	1,00,000.00	
कुल:				1,50,000.00	60,000.00

(कुल साठ हजार रुपये मात्र)

नोट: 1 योजनाओं का कार्य तीन माह में पूर्ण करके पूर्णता-सह-उपयोयिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।

उप विकास आयुक्त, रांची ।

आपांक 878 (ii) दिनांक 6/8/08

अ. वि. पदा. हुण्डू

प्रतिलिपि माननीय विधायक श्री रमेश सिंह मुंडा/जिला अभियंता, जिला परिषद् रांची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि न्याजीर, विकास शाखा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक  
वार नि. वार्ड रांची  
14/8/08

उप विकास आयुक्त, रांची



1185

रांची सनाहरणालय, रांची  
(विकास शाखा)  
कार्यालय आदेश  
विभाग-कोष (निम्न-व्यय)

विषय-निम्न योजना  
(खामोश मठ)

माननीय श्री रमेश सिंह मुण्डा सचिव/विधायक/प्रभुद्वारा अनुशंसित निम्न योजना जिसकी तकनीकी स्वीकृति कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0-2, रांची द्वारा प्रदान की गई है। माननीय सचिव/विधायक/प्रभुद्वारा अनुशंसा एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उप विकास आयुक्त/प्रभुद्वारा प्रशासकीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि रैयती भूमि उपलब्ध हो तो, योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का निर्माण कार्य प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलप्रधिकारी कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0-2, रांची की देख रेख में कराना है एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण कराना है। साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्ग दर्शन सहायक अभियंता कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0-2, रांची का सहयोग एवं अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करावेंगे।
6. स्वीकृत राशि प्र0प्रभुद्वारा/अंचलप्रभुद्वारा/कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0-2, रांची / उप विकास आयुक्त, रांची / रांची से प्राप्त करेंगे एवं प्रत्येक माह की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेंगे।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई हो तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

क्रम सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि लाख में	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	विमुक्त राशि 40 प्रतिशत
1.	एन0एच0-33 से द्वारसिनी से हुरुण्डीह तक ग्रेड-I पथ मरम्मत	7.00	7.00	2,80,000.00
2.	केनाल (बारुडीह) से कुरुकुटा तक ग्रेड-I पथ निर्माण	7.00	7.00	2,80,000.00

कुल:-

14.00

5,60,000.00

प्रशासनिक स्वीकृत राशि-14,00,000.00 (कुल चौदाह लाख रुपये मात्र)

विमुक्त राशि -5,60,000.00 (कुल पाँची लाख साठ हजार रुपये मात्र)

नोट-1. योजनाओं का कार्य तीन माह में पूर्ण कराकर  
पूर्णता-सह-उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।

उप विकास आयुक्त, रांची।

ज्ञापांक-970(III), रांची दिनांक-4/9/08

प्रतिलिपि:- माननीय विधायक श्री रमेश सिंह मुण्डा/ कार्यपालक अभियंता,  
एन0आर0ई0पी0-2, रांची / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तमाड़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु  
प्रेषित।

प्रतिलिपि:- नाजीर, विकास शाखा को धेक निर्गत करने हेतु प्रेषित

उप विकास आयुक्त, रांची।

निदेशक,  
राजनिर्वाह कार्यालय,  
29/9/08



रांची समाहरणालय, रांची  
(विकास शाखा)  
कार्यालय आदेश  
(सामान्य मद)

213

माननीय श्री रमेश सिंह मुण्डा स्रस्तद/विधायक/पत्रद द्वारा अनुशसित निम्न योजना जिसकी तकनीकी स्वीकृति कार्यपालक अभियंता, जिला परिषद, रांची द्वारा प्रदान की गई है। माननीय स्रस्तद/विधायक/पत्रद की अनुशंसा एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उप विकास आयुक्त/उपायुक्त, रांची द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि रैयती भूमि उपलब्ध हो तो, योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का निर्माण कार्य प्रखंड विकास मन्दाधिकारी/अंचलधिकारी कार्यपालक, अभियंता, जिला परिषद, रांची की देख रेख में कराना है एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण कराना है। साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्ग दर्शन सहायक अभियंता कार्यपालक, अभियंता, जिला परिषद, रांची का सहयोग एवं अपने स्रस्तित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करायेंगे।
6. स्वीकृत राशि प्रशासक/अंचल/कार्यपालक, अभियंता, जिला परिषद, रांची / उप विकास आयुक्त, रांची / रांची से प्राप्त करेंगे एवं प्रत्येक माह की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेंगे।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई हो तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

क्रम सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि लाख में	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	विमुक्त राशि प्रतिशत
1.	आर०ए०एम० महिला महाविद्यालय बुण्डू में पुस्तक विज्ञान उपस्कर एवं फर्निचर क्रय हेतु	8.00	8.00	8.00
2.	पंडित केवला प्रसाद विद्यालय बुण्डू के चाहर दिवारी उंचा करने एवं फर्निचर खरीदने हेतु	2.00	2.00	2.00

कुल:-

10.00 10.00

प्रशासनिक स्वीकृत राशि-10,00,000.00 (कुल -दस लाख रुपये मात्र)

विमुक्त राशि -10,00,000.00 (कुल दस रुपये मात्र)

नोट:-1. जिला अभियंता, जिला परिषद को निर्देश दिया जाता है कि उपस्कर, किताब आदि क्रय कर संबंधित संस्था को उपलब्ध कराते हुए क्रय की गई सामग्री का सूची अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

उप विकास आयुक्त, रांची।

ज्ञापांक-1080/110 रांची दिनांक-21/10/08

प्रतिलिपि:- माननीय विधायक श्री रमेश सिंह मुण्डा/ कार्यपालक अभियंता, जिला परिषद, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- नाजीर, विकास शाखा को धेक निर्गत करने हेतु प्रेषित।

निदेशक  
20/10/08  
20/10/08

जिला कार्यपालक अभियंता, जिला परिषद, रांची।

उप विकास आयुक्त, रांची।



1214

रांची समाह्वरनालय, रांची  
(विकास शाखा)  
कार्यालय आदेश  
(सामान्य मद)

माननीय श्री रमेश सिंह मुण्डा संप्रदाय/विधायक/प्रभुद्वारा अनुशंसित निम्न योजना जिसकी तकनीकी स्वीकृति जिला अभियंता, जिला परिषद, रांची द्वारा प्रदान की गई है। माननीय संप्रदाय/विधायक/प्रभुद्वारा की अनुशंसा एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उप विकास आयुक्त/उपायुक्त, रांची द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि रैयती भूमि उपलब्ध हो तो, योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का निर्माण कार्य प्रखंड विकास पदाधिकारी./अध्याधिकारी जिला अभियंता, जिला परिषद, रांची की देख रेख में कराना है एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण कराना है। साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्ग दर्शन सहायक अभियंता जिला अभियंता, जिला परिषद, रांची का सहयोग एवं अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करायेंगे।
6. स्वीकृत राशि प्रोविडेंट फंड/अंशदा/जिला अभियंता, जिला परिषद, रांची/उप विकास आयुक्त, रांची/रांची से प्राप्त करेंगे एवं प्रत्येक माह की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेंगे।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई हो तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

क्रम सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि लाख में	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	विमुक्त राशि 40 प्रतिशत
1.	आर०एस०एम० महिला महाविद्यालय बुण्डू में पुस्तक विज्ञान उपस्कर एवं फर्निचर क्रय हेतु	8.00	8.00	8.00
2.	पंडित केवला प्रसाद विद्यालय बुण्डू के चाहर दिवारी उच्चा करने एवं फर्निचर खरीदने हेतु	2.00	2.00	2.00

कुल:-

प्रशासनिक स्वीकृत राशि-10,00,000.00 (कुल -दस लाख रुपये मात्र)  
विमुक्त राशि -10,00,000.00 (कुल दस रुपये मात्र)

10.00 10.00

नोट:-1. जिला अभियंता, जिला परिषद को निदेश दिया जाता है कि उपस्कर, किताब आदि क्रय कर संबंधित संस्था को उपलब्ध कराते हुए क्रय की गई सामग्री का सूची अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

110  
उप विकास आयुक्त, रांची।

ज्ञापांक-1080/11/ रांची दिनांक-21/10/08

प्रतिलिपि:- माननीय विधायक श्री रमेश सिंह मुण्डा/ जिला अभियंता, जिला परिषद, रांची को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- नाजीर, विकास शाखा को चेक निर्गत करने हेतु प्रेषित।

110

उप विकास आयुक्त, रांची।

निदेशक,  
आ.वि. कार्यालय रांची  
20/10/08



राँची समाहरणालय राँची  
(विकास शाखा)  
कार्यालय आदेश

216

इस कार्यालय के ज्ञापांक 841(ii) दिनांक 29.7.2008, 878(ii) दिनांक 6.8.2008 तथा 970(ii) दिनांक 4.9.2008 के द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति आदेश एवं निधि विमुक्ति आदेश जिसमें पूर्व में 40% राशि निर्गत की गई है। में सरकार के निदेशानुसार माननीय विधायक स्व. रमेश सिंह मुण्डा के विधायक योजना सामान्य मद से अवशेष राशि 60% कार्यकारी ऐजेन्सी धार निम्नवत विमुक्त किया जाता है। तदनुसार चेक निर्गत करना सुनिश्चित किया जाय।

क्र०	कार्यकारी ऐजेन्सी का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	ज्ञापांक दिनांक	पूर्व में निमुक्त राशि	वर्तमान में विमुक्ति की राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला अभियंता जिला परिषद राँची	54.064	841(ii) 29.7.08	21.62	32,44,400	
2	जिला अभियंता जिला परिषद राँची	1.50	878(ii) 6.8.08	0.60	0.90,000	
3	कार्यपालक अभियंता एन० आर० ई० पी० ii राँची	14.00	970(ii) 4.9.08	5.60	8,40,000	
कुल :-		69,56,400		27.82	41,74,400	

कुल एकतासीस लाख चौहत्तर हजार चार सौ रुपये मात्र।

निदेशक  
29-10-08

रा० नि० कार्य० राँची  
29/10/08

उप विकास आयुक्त  
राँची

ज्ञापांक: 1142-10

दिनांक: 31.10.08

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता एन० आर० ई० पी० II राँची/जिला अभियंता जिलापरिषद राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय विधायक स्व० रमेश सिंह मुण्डा के प्रतिनिधि को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- नाजीर जिला विकास शाखा राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक  
29-10-08

रा० नि० कार्य० राँची  
29/10/08

उप विकास आयुक्त  
राँची

o/c



249

राँची समाहरणालय राँची

(विकास शाखा)

कार्यलय आदेश

सामान्य मद

माननीय श्री गोपाल कृष्ण पातर सांसद/विधायक/पार्षद द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित योजना जिसको तकनीकी स्वीकृति कार्यपालक अभियन्ता एनओआरआईपीओ-2, राँची द्वारा प्रदान की गई है। माननीय सांसद/विधायक/पार्षद की अनुमोदना एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उप विकास आयुक्त/उपायुक्त,राँची द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि रैपट भूमि उपलब्ध हो तो,योजना के लिए वैधानिक इस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रायोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का निर्माण कार्य प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी कार्यपालक अभियन्ता एनओआरआईपीओ-2, राँची को देखरेख में कराना है एवं कार्य को तीन माह के अन्दर पूर्ण कराना है। साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्राकल्पन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्ग दर्शन सहायक अभियन्ता कार्यपालक अभियन्ता एनओआरआईपीओ-2, राँची का सहयोग एवं अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करायेगे।
6. स्वीकृति राशि प्रओपिओपदाओ/ अओपदाओ/ कार्यपालक अभियन्ता एनओआरआईपीओ-2, राँची/ उप विकास आयुक्त,राँची का सहयोग एवं प्रत्येक माह की दूसरी तारीख को योजना के कार्य का प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेगे।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

क्र० सं०	योजना का नाम	अनुपराशि (लाख में)	प्राक्कओपराशि (लाख में)	प्रशाओस्वीओ राशि (लाख में)	विमुक्त राशि(लाख में)
1	फागुपुरान के घर से चूदा पुरान के घर तक वोल्डर सोलिंग के साथ पीओसीओसीओपथ	1.217	1.217	1.217	1.217
2	बलराम माझी के घर से हरिहर मास्टर के घर तक सोलिंग के साथ पीओसीओसीओपथ	0.994	0.994	0.994	0.994
3	पीओसीओसीओ पथ से स्कूल तक वोल्डर सोलिंग के साथ पीओसीओसीओपथ निर्माण कार्य	0.964	0.964	0.964	0.964
4	कुइरत हुसैन के घर से नवल किशोर कडुवा के घर वोल्डर सोलिंग के साथ पीओसीओसीओपथ निर्माण	1.376	1.376	1.376	1.376
5	पादव पुरान के घर से शिवकृष्ण पातर के घर वोल्डर सोलिंग के साथ पीओसीओसीओपथ निर्माण कार्य	2.1441	2.1441	2.1441	2.1441
6	मदन मास्टर के घर से बुधन सास मुण्डा के घर वोल्डर सोलिंग के साथ पीओसीओसीओपथ निर्माण	1.413	1.413	1.413	1.413
7	लोहरा टोली (वोल्डर सोलिंग पथ में) 1x6'x4'x आरओसीओसीओ पुलिया निर्माण कार्य	2.438	2.438	2.438	2.438

कुल योग:-

10.543 लाख

10.543 लाख

उप विकास आयुक्त,  
राँची।

नोट:- योजनाओं का कार्य तीन माह में पूर्ण कराकर पूर्णता-सह उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।

ज्ञापांक.....552.....दिनांक.....9/7/19.....

प्रतिलिपि:- माननीय श्री गोपाल कृष्ण पातर/ कार्यपालक अभियन्ता एनओआरआईपीओ-2,राँची/को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- नाजीर,विकास शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप विकास आयुक्त,  
राँची।

निदेशक  
वा. नि. अ. म. स.  
राँची

11/21/2011

Faded handwritten notes, possibly describing a process or experiment.

Second section of faded handwritten notes.

Third section of faded handwritten notes.

Final section of faded handwritten notes, including a signature.

रांची समाहरणालय, रांची  
(विकास शाखा)  
कार्यालय आदेश

माननीय श्री रमेश सिंह मुंडा सहायक/विधायक/पार्षद द्वारा अनुसूचित विन्म योजना, जिसकी तकनीकी स्वीकृति कार्य 0 अगि0 एन0 आर0ई0पी0-2 रांची द्वारा प्रदान की गई है। माननीय सहायक/विधायक/पार्षद की अनुमति एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उप विकास आयुक्त/उपायुक्त, रांची द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति विन्म विभाग के साथ प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि शैली भूमि उपलब्ध हो तो, योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विधायक रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का निर्माण कार्य प्रखंड विकास पदाधिकारी./अंचलाधिकारी कार्य 0 अगि0 एन0 आर0ई0पी0-2 रांची देख रेख में करना है एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण करना है। साथ ही कार्य की नुपुनता स्वीकृत प्रायकलन के अनुष्य होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मान्य दर्शन सहायक अभियंता कार्य 0 अगि0 एन0 आर0ई0पी0-2, रांची का सहयोग एवं अपने समुचित तकनीकी विवेक में कार्य को पूर्ण करवाने।
6. स्वीकृत राशि प्रविणपदा0/अपदा0। कार्य 0 अगि0 एन0 आर0ई0पी0-2, रांची / उप विकास आयुक्त, रांची से प्राप्त करने एवं प्रत्येक माह की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को विनमित रूप से भेजने।
7. अगर यह योजना किसी अन्य नद से ली गई हो तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने।

क्र. सं.	योजना का नाम	अनुसूचित राशि (लाख में)	प्रायकलित राशि (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	विनमित राशि 40 प्रतिशत
1.	सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में चाहरदिवारी निर्माण	5.00	5.00	5,00,000.00	
2.	कालीडीह में बाल्डर सोलिंग के उपर पी0सी0पी0 पथ निर्माण	2.86	2.86	2,86,000.00	
3.	नवाडीह से चालाडीह तक ब्रेड-1 पथ का नरमती एवं नुरमीकरण	9.00	9.00	9,00,000.00	
4.	नवाडीह से हाराडीह तक ब्रेड-1 पथ का नरमती एवं नुरमीकरण कार्य	7.00	7.00	7,00,000.00	
5.	बाबू रामडीह के मुण्डा टोली एवं बजिया टोली में पी0सी0पी0 पथ निर्माण कार्य	4.60	4.60	4,60,000.00	
6.	हाराडीह मंदिर से कर्षी सम्पर्क पथ तक पी0सी0पी0 पथ निर्माण कार्य	2.30	2.30	2,30,000.00	
7.	डेरो से सरमाली होते हुए झुलगी पुल तक गिटटी मोरम पथ निर्माण	9.75	9.75	9,75,000.00	
8.	बाम कुल्कुटदा से जगनी होटल तक (5.27 कि0मी0) गिटटी मोरम पथ का निर्माण कार्य	2.80 9.75	2.80 9.75	2,80,000.00 9,75,000.00	
9.	डेन्चम से बारनडीह सड़क पर पी0सी0पी0 के बाद कृपा के घर तक गिटटी मोरम कार्य (1.06 कि0मी0)	2.00	2.00	2,00,000.00	
				52,20,000.00	20,88,000.00

कुल:

(कुल बीस लाख अठारसी हजार रुपये मात्र)

उपायुक्त रांची के आदेशानुसार

नोट: 1 योजनाओं का कार्य तीन माह में पूर्ण कराकर पूर्णता-सह-उपस्थिति प्रमाण पत्र तर्जित करने।

उप विकास आयुक्त, रांची ।

संख्या 844(11) दिनांक 30-7-2008

ज. वि. पदा. कुंडा नमः  
रांची, को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप विकास आयुक्त, रांची

o/c

निदेशक,  
राज नि. उ. रा. रांची,  
28/7/08



रांची समाह्वन्यालय, रांची  
(विकास शाखा)  
कार्यालय आदेश  
मुख्यमंत्री विकास योजना (सामान्य मद)

माननीय श्री रमेश सिंह मुण्डा सचिव/विधायक/पार्षद द्वारा अनुशसित निम्न योजना जिसकी तकनीकी स्वीकृति कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0-2, राँची द्वारा प्रदान की गई है। माननीय सचिव/विधायक/पार्षद की अनुशंसा एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उप विकास आयुक्त/उपायुक्त, राँची द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि रैयती भूमि उपलब्ध हो तो, योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का निर्माण कार्य प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलधिकारी कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0-2, राँची की देख रेख में कराना है एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण कराना है। साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्राकलन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्ग दर्शन सहायक अभियंता कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0-2, राँची का सहयोग एवं अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करावेंगे।
6. स्वीकृत राशि प्र0वि0पदा0/अ0मदा0/ कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0-2, राँची / उप विकास आयुक्त, राँची / राँची से प्राप्त करेंगे एवं प्रत्येक माह की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेंगे।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई हो तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

क्रम सं०	योजना का नाम	प्राकलित राशि लाख में	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	विमुक्त राशि 40 प्रतिशत
1.	एन0एच0-33 से मुरी बारूहातु रोड-1 पथ मरम्मत 4 एवं मिट्टी भराई कार्य	8.00	8.00	3,20,000.00
2.	सुन्दरी नहर मोड़ से सुमानडीह तक मिट्टी मोरम का निर्माण कार्य	7.80	7.80	3,12,000.00

कुल-

15,80 6,32,000.00

प्रशासनिक स्वीकृत राशि-15,80,000.00 (कुल -पन्द्रह लाख अस्सी रुपये मात्र)

विमुक्त राशि -6,32,000.00 (कुल छः लाख बत्तीस हजार रुपये मात्र)

उपायुक्त राँची के आदेश नुसार 1

नोट-1. योजनाओं का कार्य तीन माह में पूर्ण कराकर पूर्णता-सह-उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।

उप विकास आयुक्त, राँची।

ज्ञापांक-991/ii/ राँची दिनांक-12/9/08

प्रतिलिपि:- माननीय विधायक श्री रमेश सिंह मुण्डा/ कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0-2, राँची / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तमाड़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- नाजीर विकास शाखा को चेक निर्गत करने हेतु प्रेषित।

उप विकास आयुक्त, राँची।



रॉची समाहरणालय रॉची

(विकास शाखा)

कार्यलय आदेश

मुख्यमंत्री विकास योजना

माननीय श्री गोपाल कृष्णा पातर सांसद/विधायक/पार्षद द्वारा अनुशंसित निर्माकित योजना जिसकी तकनीकी स्वीकृति कार्यपालक अभि०, एन०आर०ई०पी०-२ रॉची द्वारा प्रदान की गई है। माननीय सांसद/विधायक/पार्षद की अनुशंसा एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उप विकास आयुक्त/उपायुक्त, रॉची द्वारा प्रशासनीक स्वीकृति निर्माकित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि रैयत भूमि उपलब्ध हो तो, योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का निर्माण कार्य प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी कार्यपालक अभि०, एन०आर०ई०पी०-२ रॉची की देखरेख में करना है एवं कार्य को तीन माह के अन्दर पूर्ण करना है। साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्राकलन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्ग दर्शन सहायक अभियंता कार्यपालक अभि०, एन०आर०ई०पी०-२ रॉची का सहयोग एवं अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करायेंगे।
6. स्वीकृति राशि प्र०वि०पदा०/ अ०पदा०/कार्यपालक अभि०, एन०आर०ई०पी०-२ रॉची/ उप विकास आयुक्त, रॉची का सहयोग एवं प्रत्येक माह की दूसरी तारीख को योजना के कार्य का प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेंगे।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

क्र० सं०	योजना का नाम	अनु० राशि	प्राकलित राशि	प्र०स्वी० हेतु प्रस्ताविक राशि	अभ्युक्त
1	मस्जिद से भीम के घर तक बोल्टर सोलिंग के उपर पी०सी०सी० पथ निर्माण	0.967	0.967	0.967	तमाद-प्रखण्ड रद्दगाँव
2	ग्राम कोकाडीह सरना स्थल में 20'x15' का चकुरा निर्माण	0.946	0.946	0.946	"
3	ग्राम कोकाडीह अर्जुन महतो के खेत से कलेस्वर महतो के घर तक बोल्टर सोलिंग के साथ पी०सी०सी० पथ निर्माण	1.353	1.353	1.353	"
4	ग्राम तमाद में मजहर हुसैन के घर से खूटी रोड तक बोल्टर सोलिंग के उपर पी०सी०सी० पथ निर्माण कार्य	0.781	0.781	0.781	"
5	ग्राम नुरोडीह में गार्डवाल निर्माण	0.58	0.58	0.58	"
6	ग्राम दलकीडीह सोमरा लोहरा के कुर्वा से लाल बाबु ग्राम प्रधान के घर तक रोड तक बोल्टर सोलिंग के उपर पी०सी०सी० पथ निर्माण कार्य	1.152	1.152	1.152	मुण्डा -प्रखण्ड
7	ग्राम दलकीडीह में सार्वजनिक कुर्वा का जर्जोद्वार कार्य	0.392	0.392	0.392	"
8	ग्राम एदलहातु हलधर के घर से दशावन तक बोल्टर सोलिंग के उपर पी०सी०सी० पथ निर्माण कार्य	1.152	1.152	1.152	"
9	ग्राम सिरकाडीह में बहादुर सिंह मुण्डा के घर से गुरुचरण प्रमाणिक के घर तक बोल्टर सोलिंग के उपर पी०सी०सी० पथ निर्माण कार्य	1.523	1.523	1.523	"

कुल योग:-

(क) प्रशा०स्वी०राशि :- 8.84600 (आठ लाख चौरासी हजार छः सौ )

8.84600/-

उपायुक्त के आदेशानुसार

उप विकास आयुक्त,  
रॉची.  
14/6

नोट:- योजनाओं का कार्य तीन माह में पूर्ण करके पूर्णता-सह उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।

ज्ञापक..... 4.8.2016..... दिनांक 17/06/09.....

प्रतिलिपि:- माननीय विधायक श्री गोपाल कृष्णा पातर /कार्यपालक अभि०, एन०आर०ई०पी०-२ रॉची/ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- नाजीर, विकास शाखा को चेक निर्गत करने हेतु प्रेषित।

निदेशक  
कार्यपालक अभि० -  
12/06/09

उप विकास आयुक्त,  
रॉची.  
14/6

सुरासि (सुरासि)

सुरासि एक प्रकार का पेय है जो अक्सर दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। यह पौधों से बना है और इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। सुरासि को अक्सर तब तक पीया जाता है जब तक कि यह आपके लिए सुरक्षित न हो।

सुरासि को अक्सर तब तक पीया जाता है जब तक कि यह आपके लिए सुरक्षित न हो। सुरासि को अक्सर तब तक पीया जाता है जब तक कि यह आपके लिए सुरक्षित न हो। सुरासि को अक्सर तब तक पीया जाता है जब तक कि यह आपके लिए सुरक्षित न हो।

सुरासि को अक्सर तब तक पीया जाता है जब तक कि यह आपके लिए सुरक्षित न हो। सुरासि को अक्सर तब तक पीया जाता है जब तक कि यह आपके लिए सुरक्षित न हो। सुरासि को अक्सर तब तक पीया जाता है जब तक कि यह आपके लिए सुरक्षित न हो।

रांची समाहरणालय, रांची  
(विकास शाखा)  
कार्यालय आदेश


इस कार्यालय के ज्ञापांक आदेश 843(II) दिनांक-29.7.08 एवं 971(II) दिनांक-4.9.08 के द्वारा माननीय विधायक स्व० रमेश सिंह मुण्डा द्वारा अनुशंसित मुख्यमंत्री विकास योजनान्तर्गत सिंचाई मद से प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए वर्षा ऋतु के बाद कार्य प्रारम्भ एवं निधि विमुक्त हेतु आदेश पूर्व में दिया गया है। वर्षा ऋतु समाप्त हो चुका है।

अतः कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II रांची को निम्नरूप से निधि विमुक्त किया जाता है।

क्रम सं०	ज्ञापांक/दिनांक	कुल प्रशासनिक स्वीकृत राशि	विमुक्ति हेतु राशि	अभ्युक्ति
1.	843(ii)/29.7.08	15,00,000.00	15,00,000.00	
2.	971(ii)/4.9.08	3,00,000.00	3,00,000.00	
कुल:-		18,00,000.00	18,00,000.00	


विमुक्त राशि:-18,00,000.00 (अठारह लाख रुपये मात्र)

उपायुक्त, रांची के आदेशानुसार

  
उप विकास आयुक्त,  
रांची।

ज्ञापांक-1155(II)/ रांची दिनांक-6-11-2008

प्रतिलिपि:- माननीय विधायक स्व० रमेश सिंह मुण्डा के प्रतिनिधि/ कार्य० अभि०, एन० आर०ई०पी०-II रांची/ नाजीर, जिला विकास शाखा, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
उप विकास आयुक्त,  
रांची।



रांची समाह्वरणालय, रांची  
(विकास शाखा)  
कार्यालय आदेश  
मुख्यमंत्री विकास योजना (सिंचाई मद)

माननीय श्री रमेश सिंह मुण्डा, सचिव/विधायक/पुर्बंद द्वारा अनुशसित निम्न योजना जिसकी तकनीकी स्वीकृति जिला अभियंता, जिला परिषद, रांची द्वारा प्रदान की गई है। माननीय सचिव/विधायक/पुर्बंद की अनुशंसा एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उप विकास आयुक्त/उपायुक्त, रांची द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि रैयती भूमि उपलब्ध हो तो, योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का निर्माण कार्य प्रखंड विकास पदाधिकारी/अध्याधिकारी जिला अभियंता, जिला परिषद, रांची रेख में कराना है एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण कराना है। साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्ग दर्शन सहायक अभियंता जिला अभियंता, जिला परिषद, रांची का सहयोग एवं अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करावेंगे।
6. स्वीकृत राशि प्रोडिपेदा/अपेदा/ जिला अभियंता, जिला परिषद, रांची / उप विकास आयुक्त, रांची / रांची से प्राप्त करेंगे एवं प्रत्येक माह की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेंगे।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई हो तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

क्रम सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि लाख में	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख में)	विमुक्त राशि 40 प्रतिशत
1.	धिरुडीह बुण्डू में सिंचाई योजना में नहर निर्माण एवं पाईप लाईन का कार्य	7.00	7.00	2,80,000.00
2.	रायसा सिंचाई योजना बुण्डू में पक्का बांध का निर्माण	10.00	10.00	4,00,000.00

कुल:-

17.00 6,80,000.00

प्रशासनिक स्वीकृत राशि-7,00,000.00 (कुल सात लाख रुपये मात्र)

विमुक्त राशि 40 प्रतिशत-6,80,000.00 (कुल छः लाख अस्सी हजार रुपये मात्र)

नोट:1. योजनाओं का कार्य तीन माह में पूर्ण कराकर पूर्णता-सह-उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।

उपायुक्त के आदेशानुसार।

१/१०

उप विकास आयुक्त,  
रांची।

ज्ञापक-1049(11)/ रांची दिनांक-1-10-2008

प्रतिलिपि:- माननीय श्री रमेश सिंह मुण्डा, विधायक/ जिला अभियंता, जिला परिषद, रांची/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बुण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- नाजीर, विकास शाखा को चेक निर्गत करने हेतु प्रेषित।

१/१०

उप विकास आयुक्त,  
रांची।



रांची समाहरणालय, रांची  
(विकास शाखा)  
कार्यालय आदेश  
मु.प्रंजी ~~समाहरण~~ विकास मं०

माननीय श्री रमेश सिंह मुण्डा, संचालक/विधायक/प्रभुद्वारा अनुशंसित निम्न योजना जिसकी तकनीकी स्वीकृति कार्यपालक अभियंता, एन० आर० ई० पी०-२, रांची द्वारा प्रदान की गई है। माननीय सांसद/विधायक/प्रभुद्वारा अनुशंसा एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उच्च-विकास आयुक्त/उपायुक्त, रांची द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि रैयती भूमि उपलब्ध हो तो, योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का निर्माण कार्य प्रखंड विकास पदाधिकारी./अंचलाधिकारी कार्यपालक अभियंता, एन० आर० ई० पी०-२ रांची की देख रेख में कराना है एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण कराना है। साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्ग दर्शन सहायक अभियंता कार्यपालक अभियंता, एन० आर० ई० पी०-२ रांची का सहयोग एवं अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करावेंगे।
6. स्वीकृत राशि प्र०वि०पदा०/अ०पदा०/ कार्यपालक अभियंता, एन० आर० ई० पी०-२ रांची /उप विकास आयुक्त, रांची / रांची से प्राप्त करेंगे एवं प्रत्येक माह की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेंगे।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई हो तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

क्रम सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि लाख में	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	विमुक्त राशि
1.	अलका महतो के जमीन पर बिकका टोली में बुण्डू में तालाब निर्माण	3.00	3.00	

कुल:-

3.00

प्रशासनिक स्वीकृत राशि-3,00,000.00 (कुल तीन लाख रुपये मात्र)

नोट:1. यह राशि वर्षा ऋतु के बाद विमुक्त की जायेगी।

उप विकास आयुक्त, रांची।

ज्ञापांक-971 (ii) रांची दिनांक: 4/9/08

प्रतिलिपि:- माननीय विधायक श्री रमेश सिंह मुण्डा/ कार्यपालक अभियंता, एन० आर० ई० पी०-२ रांची को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- नाजीर, विकास शाखा को चेक निर्गत करने हेतु प्रेषित।

उप विकास आयुक्त, रांची।

निदेशक  
राज निरु कार्य सं. लि.  
३१/०८/०८

सुलोक शैली (ब्रह्मिणी शैली)

( ७-११ २ शैली )

161

रांची समाहारालय, रांची

(विकास शाखा)

कार्यालय आदेश

विद्यार्थी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्ग

माननीय श्री रमेश सिंह मुण्डा सहायक/विधायक/पार्षद द्वारा अनुसूचित विद्यार्थी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्ग के लिए रांची द्वारा प्रदान की गई है। माननीय सहायक/विधायक/पार्षद की अनुमति एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उप विकास आयुक्त/उपायुक्त, रांची द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति गिन्नाफिल शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि रैयती भूमि उपलब्ध हो तो, योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विद्याय रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का निर्माण कार्य प्रखंड विकास अधिकारी/अधेलाधिकारी जिला अभियंता, जिला परिषद रांची देखा रेखा में कराना है एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण कराना है। साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्रायफलन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/नगर दर्शन सहायक अभियंता जिला अभियंता, जिला परिषद रांची का सहयोग एवं अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करवेंगे।
6. स्वीकृत राशि प्र.0/अनुसूचित/अनुसूचित। जिला अभियंता, जिला परिषद रांची / उप विकास आयुक्त, रांची से प्राप्त करने एवं प्रत्येक हजार की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के नियमित रूप से भेजेंगे।
7. अगर वह योजना किसी अन्य मद से ली गई हो तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

क्र. सं. 0	योजना का नाम	अनुसूचित राशि (लाख में)	प्रायफलित राशि (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	विद्युत राशि -10-प्रतिशत-
1.	तमाह जाड़ेया सड़क पर बांस किनारे दोनो ओर आईवालय निर्माण	5.00	4.996	4,99,600.00	
2.	समसा तैमार पक्का नहर के किनारे गिटरी मराई एवं नहर के अवसरेय कार्य	9.50	9.50	9,50,000.00	
3.	जाड़ेया बुण्ड में मोर्चार्थन मुण्डा के तालाब का निर्माण	2.00	1.50	1,50,000.00	
4.	विघड़ी मंदिर तालाब का निर्माण	4.00	4.00	4,00,000.00	
5.	बड़ा तालाब बुण्ड में पानी निकाली एवं मेंढ निर्माण कार्य के साथ पक्का नहर का निर्माण	12.00	12.00	12,00,000.00	
				31,99,600.00	

कुल:

(कुल इक्कीस लाख गिनाबे हजार छः सौ रुपये मात्र)

उपायुक्त, रांची के आदेशानुसार

नोट: 1 योजनाओं का कार्य बरसात के बाद राशि प्राप्त होने के तीन माह में पूर्ण कराकर पूर्णता-सह-उपयोधिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।

*[Handwritten Signature]*

उप विकास आयुक्त, रांची ।

संख्यांक- 871/08 दिनांक 6/8/08

स. वि. पदा. नगर/बुण्ड

प्रतिलिपि माननीय विधायक श्री रमेश सिंह मुंडा / जिला अभियंता, जिला परिषद रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि न्याजीर, विकास शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*[Handwritten Signature]*  
 रा. वि. कार्यालय रांची  
 7/8/08

*[Handwritten Signature]*  
 उप विकास आयुक्त, रांची

